२४/5/25

आज पत्रावली पेश हुई वकील उभय पक्ष उपस्थित। दरख्वास्तगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है निर्णय एवं डिक्री मुरत्तब की। राजीनामा पार्ट शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली नतीजा मुताबिक बाद दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्डाधिकारी
(धौलपुर) राज

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(ओ. 20 ए. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **बाडी जिला धौलपुर (राज0)**
व इजलास **श्री भगवत शरण त्यागी (R.A.S.)**

1. वेदरिया आयु 40 वर्ष
2. सुरेश आयु 46 वर्ष
3. ठाकुरदास आयु 35 वर्ष

पुत्रगण स्व0 छीतोराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासीगण मौहल्ला गायत्री नगर गोपी वाला बाग तुलसीवन रोड कस्वा बाडी तह0 बाडी

बनाम

1. रमेशचन्द
2. भगवानदास
3. राजेन्द्र

पुत्रगण बुद्वाराम जाति कलार शिवहरे निवासीगण मौहल्ला जोशी पाडा कस्वा बाडी तहसील बाडी

4. शीला पुत्री बुद्धाराम जाति कलार शिवहरे निवासी जोशी पाडा बाडी
5. रघुबीर प्रसाद
6. रामदास

पुत्रगण गजुआ जाति कलार निवासीगण मौहल्ला जोशी पाडा कस्वा बाडी तहसील बाडी

7. अंगूरी देवी पुत्री गजुआ जाति कलार निवासी जोशी पाडा बाडी
8. रामा पुत्री करनसिंह पत्नी जमुनादास जाति कलार निवासी मौहल्ला जोशी पाडा कस्वा बाडी तहसील बाडी
9. अनीता पत्नी स्वर्गीय हरिओम जाति कलार निवासी मौहल्ला जोशी पाडा कस्वा बाडी
10. गिर्राज
11. राकेश
12. श्रीनिवास
13. सूरज

पुत्रगण मुन्नी देवी जाति कलार निवासीगण सबलगढ़ जिला मुरैना म0प्र0

14. रेखा पुत्री मुन्नीदेवी पत्नी लाखन जाति कलार निवासी मुरैना म0प्र0
15. राधा पुत्री गुड्डी जाति कलार निवास सबलगढ जिला मुरैना म0प्र0
16. शिवम अवयस्क पुत्र गुड्डी
17. लक्ष्मी अवयस्क पुत्री गुड्डी

जातिगण कलार निवासीगण सबलगढ जिला मुरैना व सरपरस्ती बहिन राधा खुद

18. मुन्नीदेवी पत्नी धनीराम जाति गुर्जर निवासी पंचायत समिति के पास कस्वा बाडी
19. प्रेमसिंह पुत्र मुरारीलाल जाति गुर्जर निवासी मौहल्ला गूजर पाडा कस्वा बाडी
20. अंगूरी पत्नी रामप्रसाद
21. भगवानदास पुत्र स्व0 रामप्रसाद
22. वासदेवपुत्र स्व0 रामप्रसाद

जातिगण कुम्हार निवासीगण मौहल्ला हौद कस्वा बाड़ी

23. मुन्नी पुत्री स्व0 रामप्रसाद पत्नी रामवावू जाति कुम्हार निवासी तुलसीवन रोड कस्वा बाडी

उपखण्डाधिकारी
बाड़ी (धौलपुर) राज

24. शीला पुत्री स्व0 रामप्रसाद पत्नी पप्पू जाति कुम्हार हाल निवासी काली माई मन्दिर के पास धौलपुर

25. दाताराम पुत्र छीतोराम जाति कुम्हार निवासी मौहल्ला चंगवीरया पाडा हौद कस्वा बाडी

दावा दावत

मुकदमा नं. **135/2014**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई स्वंय

हाजरी **श्री जगदीश प्रसाद मित्तल एड0** मिनजानिव मुद्दई **श्री रवि पचौरी एड0** मिनजानिव मुख्यलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है

दावा वादीगण मुताबिक राजीनामा डिकी किया जाकर प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 2298 रकवा 2 बीघा 13 विश्वा कस्वा बाडी नं0 3 तहसील बाडी का वादीगण एवं तरतीवी प्रति0 सं0 25 को 1/2 हिस्सा व तरतीवी प्रति0 सं0 20 लगा0 24 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व इन्द्राज को कलमजद कर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। प्रति0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वे वादीगण एवं तरतीवी प्रति0 के हिस्से में आई आराजी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत बैजा न करें। राजीनामा डिकी का जुज रहेगा।

नीज .... मुबलिग.................... बाबत ....खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शहर .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक .... को अदा करें।

फैसला मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **28** माह **05** साल **2025** को जारी की गई।

दस्तखत .... उपखण्डाधिकारी

ओहदा उपखण्ड अधिकारी बाडी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी जिला – धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री भगवत शरण त्यागी (आर0ए0एस0)

उनवान

बेदरिया

बनाम

रमेशचन्द

1. वेदरिया आयु 40 वर्ष
2. सुरेश आयु 46 वर्ष
3. ठाकुरदास आयु 35 वर्ष

} पुत्रगण स्व0 छीतोराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासीगण मौहल्ला गायत्री नगर गोपी वाला बाग तुलसीवन रोड कस्वा बाडी तह0 बाडी

वादीगण :–

बनाम

1. रमेशचन्द
2. भगवानदास
3. राजेन्द्र

} पुत्रगण बुद्धाराम जाति कलार शिवहरे निवासीगण मौहल्ला जोशी पाडा कस्वा बाडी तहसील बाडी

4. शीला पुत्री बुद्धाराम जाति कलार शिवहरे निवासी जोशी पाडा बाडी
5. रघुबीर प्रसाद
6. रामदास

} पुत्रगण गजुआ जाति कलार निवासीगण मौहल्ला जोशी पाडा कस्वा बाडी तहसील बाडी

7. अंगूरी देवी पुत्री गजुआ जाति कलार निवासी जोशी पाडा बाडी
8. रामा पुत्री करनसिंह पत्नी जमुनादास जाति कलार निवासीं मौहल्ला जोशी पाडा कस्वा बाडी तहसील बाडी
9. अनीता पत्नी स्वर्गीय हरिओम जाति कलार निवासी मौहल्ला जोशी पाडा कस्वा बाडी
10. गिर्राज
11. राकेश
12. श्रीनिवास
13. सूरज

} पुत्रगण मुन्नी देवी जाति कलार निवासीगण सबलगढ़ जिला मुरैना म0प्र0

14. रेखा पुत्री मुन्नीदेवी पत्नी लाखन जाति कलार निवासी मुरैना म0प्र0
15. राधा पुत्री गुड्डी जाति कलार निवास सबलगढ जिला मुरैना म0प्र0
16. शिवम अवयस्क पुत्र गुड्डी
17. लक्ष्मी अवयस्क पुत्री गुड्डी

} जातिगण कलार निवासीगण सबलगढ जिला मुरैना व सरपरस्ती बहिन राधा खुद

18. मुन्नीदेवी पत्नी धनीराम जाति गुर्जर निवासी पंचायत समिति के पास कस्वा बाडी
19. प्रेमसिंह पुत्र मुरारीलाल जाति गुर्जर निवासी मौहल्ला गूजर पाडा कस्वा बाडी

प्रतिवादीगण :–

उपखण्डाधिकारी
बाडी धौलपुर) राज

20. अंगूरी पत्नी रामप्रसाद
21. भगवानदास पुत्र स्व0 रामप्रसाद
22. वासदेवपुत्र स्व0 रामप्रसाद

} जातिगण कुम्हार निवासीगण मौहल्ला हौद कस्वा बाड़ी

23. मुन्नी पुत्री स्व0 रामप्रसाद पत्नी रामवावू जाति कुम्हार निवासी तुलसीवन रोड कस्वा बाडी
24. शीला पुत्री स्व0 रामप्रसाद पत्नी पप्पू जाति कुम्हार हाल निवासी काली माई मन्दिर के पास धौलपुर
25. दाताराम पुत्र छीतोराम जाति कुम्हार निवासी मौहल्ला चंगवीरया पाडा हौद कस्वा बाडी

तरतीवी प्रतिवादीगण :–

उपस्थित वादीगण के वकील – श्री जगदीश प्रसाद मित्तल एड0
प्रतिवादीगण के वकील – श्री रवि पचौरी एड0

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0ए0

दिनांक :– 28.05.2025

दावा सं. 135/2014

निर्णय

वादीगण द्वारा उक्त उनवान का दावा पेश कर निवेदन किया है कि :–

मद संख्या 1 में शिजरा फरीकेन अंकित किया। हाल आराजी खसरा नम्बर 2298 रकवा 2 बीघा 13 विश्वा जिसका गत नम्बर 1859 रकवा 3 तीन बीघा 4 विश्वा कस्वा बाडी नं0 3 तहसील बाडी में स्थित है। विवादित आराजी के पूर्व खातेदार काश्तकार वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी नं0 21 लगायत 25 के बाबा व तरतीवी प्रतिवादिनी नं0 20 के ससुर पन्ना पुत्र कृपा जाति कुम्हार निवासी कस्वा बाडी थे तथा वह अपने जीवन पर्यन्त विवादित आराजी पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त करते रहे। वादीगण के बाबा पन्ना पुत्र कृपा का देहान्त अर्सा करीव 50 वर्ष पूर्व हो चुका है। मृत पन्ना पुत्र कृपा ने अपने वारिसान में अपने दो पुत्रों रामप्रसाद व छीतोराम को छोड़ा था। जिन्होने मृत पन्ना पुत्र कृपा का समस्त तर्का प्राप्त किया। पन्ना पुत्र कृपा का निधन हो जाने पर विवादित आराजी विधि अनुसार उसके दोनों पुत्रों रामप्रसाद व छीतोराम पर बहिस्सा बराबर प्रकान्त हुई। इस प्रकार पन्ना पुत्र कृपा के निधन के वाद उसके दोनों पुत्र रामप्रसाद व छीतोराम विवादित आराजी के बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हो गये व अपने जीवन पर्यन्त विवादित आराजी पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काविज होकर काश्त करते रहे। रामप्रसाद पुत्र पन्ना जाति कुम्हार का निधन अर्सा करीव 10 वर्ष पूर्व हो चुका है। मृत रामप्रसाद ने अपने वारिसान में अपनी बेबा अंगूरी तरतीवी प्रतिवादी नं0 20 व अपने दो पुत्रगण भगवानदास तरतीवी प्रतिवादी नं0 21 व वासदेव तरतीवी प्रतिवादी नं0 22 व दो पुत्रीयों मुन्नी तरतीबी प्रतिवादी नं0 23 व शीला तरतीवी प्रतिवादी नं0 24 को छोड़ा है। जिन्होने मृत रामप्रसाद का समस्त तर्का प्राप्त किया है। रामप्रसाद पुत्र पन्ना का निधन हो जाने पर विवादित आराजी में उसका 1/2 हिस्सा विधि अनुसार तरतीवी प्रतिवादी नं0 20 लगायत 24 पर बहिस्सा बराबर प्रकान्त हुआ। इस प्रकार तरतीवी

उपखण्डाधिकारी
बाड़ी (धौलपुर) राज

निशान प्रतिवादी न0 1 लगायत 17 ने विरासत

जानकारी हुई। प्रतिवादी नं0 18 व 19 ने दिनांक 15.10.14 को वादीगण को धमकी दी कि उन्होने विवादित आराजी के हिस्से को खरीद लिया है। इसलिये वे विवादित आराजी पर जबरन कब्जा करेंगे व प्रतिवादी नं0 19 ने धमकी दी है कि वह वयनामा के आधार पर विवादित आराजी के क्रयशुदा भाग का दाखिला खारिज अपने नाम करायेगा तथा प्रतिवादीगण ने वादीगण को यह भी धमकी दी है कि वे विवादित आराजी को रहन, वय कर देगें। यदि प्रतिवादीगण ने अपनी धमकी के अनुसार विवादित आराजी पर जबरन कब्जा कर लिया व प्रतिवादी नं0 19 ने वयनामा के आधार पर अपने नाम दाखिला खारिज कर लिया व विवादित आराजी को प्रतिवादीगण ने रहन, वय कर दिया तो वादीगण को ऐसी क्षति होगी जितकी पूर्ति हर्जे से किसी भी प्रकार सम्भव नहीं हो सकेगी। वादीगण न्यायालय श्रीमान से यह घोषित करा पाने के अधिकारी है कि वे तरतीवी प्रतिवादी नं0 20 लगायत 25 विवातिद आराजी के खातेदार काश्तकार है व तदनुसार राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती करा पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी नं0 1 लगायत 19 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करा पाने के अधिकारी है कि वे विवादित आराजी पर बलपूर्वक कब्जा नहीं करें तथा वे विवादित आराजी को कहीं रहन, वय नहीं करे तथा प्रतिवादी नं0 19 को पावन्द किया जावे कि वह विवादित आराजी का वयनामा के आधार पर अपने नाम दाखिला खारिज नहीं करावें।

इस प्रकार दावा पेश कर वादीया ने निवेदन किया कि :–

यह घोषित किया जाये कि वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी नं0 20 लगायत 25 विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार है। तदनुसार राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती करायी जायें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पावन्द किया जावे कि वे विवादित आराजी पर बलपूर्वक कब्जा नहीं करें, विवादित आराजी को कही रहन, वय नहीं करें तथा प्रतिवादी नं0 19 को पावन्द किया जावे कि वह वयनामा के आधार पर विवादित आराजी का दाखिला खारिज नहीं कराये।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति0 सं0 1 लगा0 17 व 20 लगा0 25 बावजूद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित आये। अतः उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रति0 सं0 18 व 19 द्वारा उपस्थित न्यायालय आकर जबावदावा प्रस्तुत कर दावे में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए अंकित किया है कि :–

वादपत्र की मद सं0 1 में अंकित शिजरा गलत हैं स्वीकार नहीं हैं। पन्ना की पुत्रीयों को शिजरे में नहीं दर्शाया गया हैं। जबकि पन्ना के दो पुत्रियां हैं। जिन्हे शिजरे में नहीं दर्शाया गया है। ना ही वाद में पक्षकार बनाया है। इस प्रकार इस वाद में नोन जोइन्डर ऑफ नेसेसरी पार्टी का दोष है। आराजी खसरा नं0 2298 रकवा 2 बीधा 13 विश्वा कतई विवादित नहीं है। प्रतिवादी उत्तरदाता शान्तीपूर्वक अपने हिस्से की आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। विवादित आराजी के पन्ना पुत्र कृपा कभी खातेदार काश्तकार नहीं रहे। ना हीं उनका विवादित आराजी पर कभी कोई कब्जा रहा। जबकि उक्त आराजी के पूर्व खातेदार काश्तकार रम्पे पुत्र गोकुल थे। जो अपने जीवन पर्यन्त विवादित आराजी पर काबिज रह कर काश्त करते रहे। बाद मृत्यु रम्पे व उनके वारिसान विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते रहे। विवादित आराजी पर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी सं0 21 लगा 25 के बाबा व तरतीवी प्रतिवादी सं0 20 के ससुर पन्ना का

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर) राज

जानकारी हुई। प्रतिवादी नं0 18 व 19 ने दिनांक 15.10.14 को वादीगण को धमकी दी कि उन्होने विवादित आराजी के हिस्से को खरीद लिया है। इसलिये वे विवादित आराजी पर जबरन कब्जा करेंगे व प्रतिवादी नं0 19 ने धमकी दी है कि वह वयनामा के आधार पर विवादित आराजी के क्रयशुदा भाग का दाखिला खारिज अपने नाम करायेगा तथा प्रतिवादीगण ने वादीगण को यह भी धमकी दी है कि वे विवादित आराजी को रहन, वय कर देगें। यदि प्रतिवादीगण ने अपनी धमकी के अनुसार विवादित आराजी पर जबरन कब्जा कर लिया व प्रतिवादी नं0 19 ने वयनामा के आधार पर अपने नाम दाखिला खारिज कर लिया व विवादित आराजी को प्रतिवादीगण ने रहन, वय कर दिया तो वादीगण को ऐसी क्षति होगी जितकी पूर्ति हर्जे से किसी भी प्रकार सम्भव नहीं हो सकेगी। वादीगण न्यायालय श्रीमान से यह घोषित करा पाने के अधिकारी है कि वे तरतीवी प्रतिवादी नं0 20 लगायत 25 विवातिद आराजी के खातेदार काश्तकार है व तदनुसार राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती करा पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी नं0 1 लगायत 19 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करा पाने के अधिकारी है कि वे विवादित आराजी पर बलपूर्वक कब्जा नहीं करें तथा वे विवादित आराजी को कहीं रहन, वय नहीं करे तथा प्रतिवादी नं0 19 को पावन्द किया जावे कि वह विवादित आराजी का वयनामा के आधार पर अपने नाम दाखिला खारिज नहीं करावें।

इस प्रकार दावा पेश कर वादीया ने निवेदन किया कि :–

यह घोषित किया जाये कि वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी नं0 20 लगायत 25 विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार है। तदनुसार राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती करायी जायें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पावन्द किया जावे कि वे विवादित आराजी पर बलपूर्वक कब्जा नहीं करें, विवादित आराजी को कही रहन, वय नहीं करें तथा प्रतिवादी नं0 19 को पावन्द किया जावे कि वह वयनामा के आधार पर विवादित आराजी का दाखिला खारिज नहीं कराये।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति0 सं0 1 लगा0 17 व 20 लगा0 25 बावजूद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित आये। अतः उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रति0 सं0 18 व 19 द्वारा उपस्थित न्यायालय आकर जबावदावा प्रस्तुत कर दावे में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए अंकित किया है कि :–

वादपत्र की मद सं0 1 में अंकित शिजरा गलत हैं स्वीकार नहीं हैं। पन्ना की पुत्रीयों को शिजरे में नहीं दर्शाया गया हैं। जबकि पन्ना के दो पुत्रियां हैं। जिन्हे शिजरे में नहीं दर्शाया गया है। ना ही वाद में पक्षकार बनाया है। इस प्रकार इस वाद में नोन जोइन्डर ऑफ नेसेसरी पार्टी का दोष है। आराजी खसरा नं0 2298 रकवा 2 बीघा 13 विश्वा कतई विवादित नहीं है। प्रतिवादी उत्तरदाता शान्तीपूर्वक अपने हिस्से की आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। विवादित आराजी के पन्ना पुत्र कृपा कभी खातेदार काश्तकार नहीं रहे। ना हीं उनका विवादित आराजी पर कभी कोई कब्जा रहा। जबकि उक्त आराजी के पूर्व खातेदार काश्तकार रम्पे पुत्र गोकुल थे। जो अपने जीवन पर्यन्त विवादित आराजी पर काबिज रह कर काश्त करते रहे। बाद मृत्यु रम्पे व उनके वारिसान विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते रहे। विवादित आराजी पर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी सं0 21 लगा 25 के बाबा व तरतीवी प्रतिवादी सं0 20 के ससुर पन्ना का

उपखण्डाधिकारी
बाड़ी (धौलपुर) राज

कभी भी कब्जा नहीं रहा। रम्पे के वारिसान द्वारा उक्त आराजी में से 3/10 हिस्से की आराजी को प्रतिवादी उत्तरदातागण को वय कर दिया। तब से प्रतिवादी उत्तरदातागण विवादित आराजी पर काबिज हैं। इस प्रकार पन्ना व पन्ना की मृत्यु के उपरांत उसके वारिसान का विवादित आराजी पर कभी भी स्वामित्व व अधिपत्य नहीं रहा। स्वामित्व व अधिपत्य के अभाव में वाद चलने योग्य नहीं हैं। प्रतिवादी उत्तरदातागण काबिज आराजी हैं। विवादित आराजी पर राज0 काश्तकारी अधि0 के प्रभाव में आने से पहले से रम्पे पुत्र गोकुल काबिज विवादित आराजी थे। जो अपने जीवन पर्यन्त विवादित आराजी पर काबिज रह कर काश्त करते रहे। बाद मृत्यु रम्पे उनके वारिसान विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते रहे। विवादित आराजी पर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी सं0 21 लगा0 25 के बाबा व तरतीवी प्रतिवादी सं0 20 के ससुर पन्ना का कभी भी स्वामित्व व अधिपत्य नहीं रहा। रम्पे के वारिसान द्वारा उक्त आराजी में से 3/10 हिस्से की आराजी को प्रतिवादी उत्तरदातागण को वय कर दिया। तब से प्रतिवादी उत्तरदातागण विवादित आराजी के स्वामी व अधिपत्यधारी हुए। इस प्रकार विवादित आराजी पर पिछले 100 वर्षों से पन्ना का कब्जा नहीं रहा व विवादित आराजी पर पिछले 100 वर्षो से निर्बाध रूप से बिना वादीगण व उनके पूर्वजों की आपत्ती के रम्पे व उसके वाद उसके वारिसान काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। जिस कारण विवादित आराजी पर रम्पे खातेदार काश्तकार हुए व आज भी विवादित आराजी पर कब्जा नहीं हैं। विवादित आराजी में रामप्रसाद कभी खातेदार काश्तकार नहीं रहा तो विवादित आराजी को उसके वारिसान को विरासतन मिलना व उस पर कब्जा होना कतई गलत है। वैसे भी पन्ना की दो पुत्रीयाँ और हैं जो वाद में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाई है। विवादित आराजी में छीतोराम कभी खातेदार काश्तकार नहीं रहा तो विवादित आराजी को उसके वारिसान को विरासतन मिलना व उस पर कब्जा होना कतई गलत हैं हैं। विवादित आराजी का रम्पे राज0 काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व कब्जे काश्त में था व जोता था। राजस्व कर्मचारियों ने विधिवत जाँच कर रम्पे को विवादित आराजी पर विधिवत सुनवाई कर राज0 काश्तकारी अधि0 के नियमानुसार खातेदार काश्तकार माना व तदनानुसार रम्पे के विवादित आराजी के जोता व कब्जे काश्त में होने के कारण विधिवत खातेदारी दर्ज की गई। जिसकी वादीगण के पूर्वजों को पूर्ण जानकारी थी। वादीगण को विवादित आराजी में कोई अधिकार खातेदारी कभी भी नहीं रहे, नही कब्जा रहा। रम्पे विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार थे जिनकी मुत्यु के बाद उनके वारिसान काबिज आराजी हुए। रम्पे का नाम राजस्व रिकार्ड में सही प्रकार से अंकित हैं। वादीगण व उनके पूर्वजो ने कभी भी विवादित आरजी को जोता बोया नहीं हैं। वादीगण सभी पडे लिखे व्यक्ति हैं, जिन्हे विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड व मौके पर प्रतिवादी उत्तरदातागण के कब्जे की पूर्ण जानकारी है। विधिवत कब्जा होने के कारण बाद जांच प्रतिवादी उत्तरदातागण का हल्का पटवारी द्वारा दाखिल खारिज विवादित आराजी पर खोला व बाद मृत्यु पन्ना उसके वारिसान का कब्जा विवादित आराजी पर होने पर दाखिल खारिज खोला। वयनामा कर देने वाली बात स्वीकार हैं। उक्त वयनामे विधिवत हुए हैं। विवादित आराजी से वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं हैं। वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण व उनके पूर्वज हकीकत से अर्सा करीब 100 साल पूर्व से ही परिचित है। जो भली भांति यह जानते हैं कि विवादित आराजी पर प्रतिवादी उत्तरदाता काबिज हैं व प्रतिवादी उत्तरदाता से पूर्व रम्पे व उसके वारिसान काबिज आराजी थे।

उपखण्डाधिकारी
बाडी (धौलपुर) राज

लेकिन वादीगण व उनके पूर्वजो ने कभी भी कोई आपत्ति आज तक दर्ज नहीं कराई। विवादित आराजी से वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं हैं। पहले तो प्रतिवादीगण उक्त आराजी के खातेदार काश्तकर तो है ही, लेकिन वादीगण अपने आपको खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड की गलत इन्द्रातात के आधार पर बता रहे हैं, तो इस प्रकार देखा जावे तो कानूनन रम्पे व उसके वारिसान का निर्बाध रूप से विवादित आराजी पर पिछले 100 वर्षो से निरंतर अविवादित वादीगण की पूर्ण जानकारी से कब्जा होने पर भी रम्पे विवादित आराजी का कब्जा मुखालफाने के आधार पर खातेदार काश्तकार हैं। वादीगण को कोई अधिकार विवादित आराजी पर प्राप्त नहीं होते। प्रतिवादीगण ने वादीगण को कोई धमकी किसी भी प्रकार की नहीं दी। इस मद में केवल मिथ्या वाद कारण उत्पन करने के उद्देश्य से मनगढन्त व काल्पनिक तथ्य अंकित किये हैं। वादीगण का कब्जा विवादित आराजी पर नहीं है। नहीं वादीगण का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध व सरोकार है, तो वादीगण को क्षति की कतई सम्भावना नहीं हैं। वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण विवादित आराजी के कभी भी खातेदार काश्तकार नहीं रहे। नहीं वो आज हैं। इस प्रकार वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण प्रतिवादी उत्तरदाता को किसी भी प्रकार से पावन्द करा पाने व खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करा पाने के अधिकारी हैं। वादीगण व उनके पूर्वजों को विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार रम्पे व बाद मृत्यु रम्पे उसके वारिसान व प्रतिवादी उत्तरदाता है, की जानकारी जन्म से ही है व राजस्व रिकार्ड भी रम्पे व बाद मृत्यु रम्पे उसके वारिसान के नाम है। प्रतिवादी उत्तरदातागण का विवादित आराजी पर पूर्व से ही कब्जा हैं, तो इस प्रकार वादीगण प्रतिवादीगण को किसी भी प्रकार से पाबन्द करा पाने का हकदार नहीं है। प्रतिवादी उत्तरदातागण का दाखिल खारिज हों चुका है।

दावे एवं जबावदावे के आधार पर प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गई :–

1. आया वादीगण वतरतीवी प्रति0 विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार है।
2. आया वादीगण प्रति0 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द करा पाने के अधिकारी हैं।
3. आया दावे में नॉन जोइन्डर ऑफ नेसेसरी पार्टी का दोष है। दावा काबिल खारिजी है।
4. आया विवादित आराजी पर कब्जा वादीगण नहीं होने के कारण काबिल खारिजी के है।
5. आया प्रति0 मुखालफाला कब्जा के आधार पर खातेदार काश्तकार है।
6. दादरसी

दौराने साक्ष्य वादीगण उभयपक्ष द्वारा दोनों पक्षों के मध्य हुए राजीनामा को प्रस्तुत कर वादीगण का दावा मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस वकील उभयपक्ष समाअत की गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं राजीनामा का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सं0 2017–20 में पन्ना पुत्र कृपा एवं बन्दोबस्त पूर्व की जमाबन्दी में पन्ना पुत्र कृपा हि0 1/2 व रामप्रसाद पुत्र कृपा हि0 1/2 का नाम ख0नं0 1859 रकवा 3–04 पर बतौर खातेदार काश्तकार अंकित है। नकल मिलान क्षेत्रफल में ख0नं0 1859 से नया नम्बर 2298 रकवा 2–13 बना है। परन्तु नकल बन्दोबस्ती जमाबन्दी सं0 2022 में ख0नं0 2298 पर रम्पे पुत्र गोकुल का नाम अंकित है। साथ ही नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 में

उपखण्डाधिकारी
बाड़ी (धौलपुर) राज

निधन के बाद उसके वारिशान प्रतिवादी न0 1 लगायत 17 ने विरासत

खारिज करा लिया था–

प्रति0 के नाम अंकित है। इस प्रकार उक्त बन्दोबस्त पूर्व की जमाबन्दियों से स्पष्ट है कि बन्दोबस्त से पूर्व में प्रश्नगत आराजी का खातेदार काश्तकार पन्ना पुत्र कृपा खातेदार काश्तकार था। परन्तु बन्दोबस्त कर्मचारियों द्वारा बन्दोबस्त के बाद किस आधार पर रम्पे पुत्र गोकुल को खातेदार अंकित किया है, इसका उल्लेंख नहीं है। जबकि बन्दोबस्त कर्मचारियों को बिना किसी सक्षम आदेश के पूर्व की प्रविष्टियों को बदलने का कोई अधिकार नहीं था। उनके द्वारा किया गया यह कार्य कानूनन गलत है। इस प्रकार वादीगण व तरतीवी प्रति0 अपने आपको प्रश्नगत आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी होते है। इसके अलावा प्रति0 सं0 1 लगा0 17 का बावजूद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित आना उनकी मौन स्वीकारोक्ति मानी जा सकती है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वह न्यायालय में आकर चाराजोई आवश्य करते। साथ ही प्रति0 सं0 18 व 19 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत कियां है। जिसमें उन्होंने वादीगण व तरतीवी प्रति0 के पूर्वज पन्ना पुत्र कृपा को खातेदार काश्तकार एवं कब्जाधारी माना है तथा रम्पे पुत्र गोकुल का गलत रूप से बन्दोबस्त के दौरान खाता अपने नाम कराने एवं प्रश्नगत आराजी पर रम्पे पुत्र गोकुल एवं उनके वारिसान प्रति0 सं0 1 लगा0 17 का कोई कब्जा न होना स्वीकार किया है तथा उनके द्वारा प्रति0 सं0 18 व 19 के नाम गलत वयनामा कराने का अंकन किया है। साथ ही राजीनामा में अंकित किया है कि प्रति0 सं0 18 व 19 का प्रश्नगत आराजी पर कोई हित अधिकार नहीं होगा। इस प्रकार प्रस्तुत राजीनामा लोकहित की भावना से प्रस्तुत किया गया है। जिसे स्वीकार किया जाना न्याय हित में है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन के आधार पर मेरी राय में वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि दावा वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 2298 रकवा 2 बीघा 13 विश्वा कस्वा बाडी नं0 3 तहसील बाडी का वादीगण एवं तरतीवी प्रति0 सं0 25 को 1/2 हिस्सा व तरतीवी प्रति0 सं0 20 लगा0 24 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व इन्द्राज को कलमजद कर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। प्रति0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वे वादीगण एवं तरतीवी प्रति0 के हिस्से में आई आराजी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत बैजा न करें। राजीनामा डिक्री का जुज रहेगा। निर्णय मुताबिक डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बाडी (धौलपुर) राज